झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02.त0शि0/योजना–06/2024 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक)
पोस्ट– हिनु, राँची।

विषयः– **झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् (JCSTI), राँची के Co-ordination Building के लिए डीप बोरिंग, पम्प सेट अधिष्ठापन एवं अन्य कार्य हेतु प्राक्कलित राशि रू0 4,95,526/– (रू0 चार लाख पंचानबे हजार पांच सौ छब्बीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः–स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत झारखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, राँची के परिसर में झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् (JCSTI), राँची के Co-ordination Building में पानी की अनुपलब्धता को देखते हुए डीप बोरिंग, पम्प सेट अधिष्ठापन एवं अन्य कार्य के निमित कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद का पत्रांक 162 दिनांक 23.07.2024 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यॉंत्रिक प्रमंडल, राँची से डीप बोरिंग के साथ जलापूर्ति की व्यवस्था करने हेतु अनुरोध किया गया है। तत्पश्चात कार्यपालक अभियंता का पत्रांक 673 दिनांक 10.08.2024 के द्वारा झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् (JCSTI), राँची के Co-ordination Building के लिए डीप बोरिंग, पम्प सेट अधिष्ठापन एवं अन्य कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदन प्रदान करते हुए कुल प्राक्कलित राशि रू0 4,95,526/– (रू0 चार लाख पंचानबे हजार पांच सौ छब्बीस) मात्र का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत् है –

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	प्राक्कलन संख्या एवं तिथि	स्वीकृत प्राक्कलित राशि
1	Estimate for the construction of 1 No. HYDT of size 200 mm x 165 mm x 700 feet deep with DTH hydraulic rig m/c, supplying and installation of submersible P/sets in HYDT & laying of rising pipe from bore well to OHT all complete at Co-Ordination building of JCSTI in JUT Compus, Namkum Ranchi.	RR-10/2024-25 10.08.2024	4,95,526.00

उक्त प्राक्कलन को कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् (JCSTI), राँची का पत्रांक 208 दिनांक 03.09.2024 द्वारा अनुशंसा करते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् (JCSTI), राँची के Co-ordination Building के लिए डीप बोरिंग, पम्प सेट अधिष्ठापन एवं अन्य कार्य के लिए कुल रू0 4,95,526/– (रू0 चार लाख पंचानबे हजार पांच सौ छब्बीस) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राशि की निकासी वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खनन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार हेतु निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

3. विषयांकित कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यॉंत्रिक प्रमंडल, रॉंची, झारखण्ड की होगी जो तकनीकी स्वीकृति के साथ विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए निष्पादित किया जायेगा। कार्य की प्रगति के संबंध में पर्यवेक्षण कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद (JCSTI) द्वारा करते हुए प्रतिवेदन विभाग को समर्पित की जायेगी।
4. स्वीकृत्यादेश निर्गत के पश्चात आवश्यकतानुसार आवंटन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यॉंत्रिक प्रमंडल, रॉंची, झारखण्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यॉंत्रिक प्रमंडल, रॉंची, झारखण्ड होगें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्ययन झारखण्ड PWD कोड़ के आलोक में आवश्यक औपचारिकताएँ पूरा करते हुए सुनिश्चित करेंगे।
6. कार्य पूर्ण करने के अवधि 30 दिन होगी।
7. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची से की जायेगी।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्रांक 2561 दि0 17.04.98 में निहित दिशानिर्देश एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों में निर्दिष्ट अनुदेशों के आलोक में की जाएगी।
9. झारखंड सरकार के वित्त विभाग के संकल्प सं0 118 दिनांक 12.01.2007 में वित्तीय प्रबंधन के संबंध में दिये गये निदेश का अनुपालन की जायेगी।
10. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्य समाप्ति के एक माह के भीतर कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यॉंत्रिक प्रमंडल, रॉंची, झारखण्ड द्वारा झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद (JCSTI) के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
11. झारखण्ड़ कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन निश्चित तौर पर किया जायेगा।
12. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग या अपवर्त्तन नहीं किया जायेगा।
13. प्रारूप पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
15. स्वीकृत राशि का अंकेक्षण का अधिकार वित्त विभाग (अंकेक्षण) एवं महालेखाकार झारखण्ड़ रॉंची का होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(राहुल कुमार पुरवार)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 02.त0शि0/योजना–06/2024 /रॉंची, दिनांकः–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः– 02.त0शि0/योजना–06/2024/27/योजना /रॉंची, दिनांकः– 15.10.2024

प्रतिलिपिः– मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद/अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यांत्रिक अंचल, रॉंची/कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता यॉंत्रिक प्रमंडल, रॉंची, झारखण्ड/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.10.24

सरकार के प्रधान सचिव